दण्ड अपील सं०–04/2026
राहुल आदि बनाम उ०प्र० राज्य
थाना–महिला थाना, इटावा।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–7/ विशेष न्यायाधीश (NDPS Act)इटावा।
उपस्थितः सुनीता शर्मा, (उच्चतर न्यायिक सेवा)
J.O. CODE : UP1700

दण्ड अपील संख्या–04/2026

CNR No. :UPEW010001942026

1. राहुल पुत्र विद्याराम
2. विद्याराम पुत्र लाखन सिंह
3. रामकिशोरी पत्नी विद्याराम
4. शवम उर्फ शिवकुमार पुत्र विद्याराम
   निवासीगण–सी–2083 सबोली विस्तार मण्डोली सबोली, थाना हर्ष बिहार नार्थ ईस्ट दिल्ली–110093
5. रीना पत्नी अनुज कुमार निवासी–51/52 गली नं० छज्जर रामबस्ती शमसुद्दीन नगर पश्चिम दिल्ली–110041

....अपीलार्थीगण

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला मजिस्ट्रेट,
2. पुष्पा पुत्री दिल्लीराम, निवासी पुरा रेवाडी, पो० अजबपुर, थाना बढ़पुरा, जिला इटावा।

....प्रत्यर्थीगण

निर्णय

1– प्रस्तुत दाण्डिक अपील, अंतर्गत धारा 29 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 अपीलार्थीगण राहुल आदि की ओर से विद्वान न्यायालय सिविल जज(जू०डि०) कोर्ट सं०–01 इटावा द्वारा परिवाद संख्या–578/2021 पुष्पा बनाम राहुल आदि, अंतर्गत धारा–12 घरेलू हिंसा अधिनियम थाना महिला थाना, इटावा में पारित निर्णय दिनाँकित–06.12.2025 से क्षुब्ध होकर दायर की गयी है।

2– प्रस्तुत दाण्डिक अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय आदेश पारित करते समय कानून के सुस्थापित सिद्धान्तों का अनुपालन नहीं किया है और पत्रावली पर अपीलकर्तागण द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों का मूल्यांकन करते समय कई महत्व पूर्ण बिन्दुओं पर विचार न करके आदेश पारित किया है जो खंडनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलकर्तागण के द्वारा दाखिल किये गये मा० सर्वोच्च न्यायालय एवं मा० उच्च न्यायालयों के आदेशों एवं साक्ष्यों का अवलोकन न करके आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी राहुल व विपक्षी नं०–02 पुष्पा की शादी दिनांक–28.02.2008 को हिन्दू रीति रिवाज से सम्पन्न हुई थी। शादी बिना दान दहेज के सम्पन्न हुयी थी, जिसमें किसी प्रकार के दान दहेज का आदान प्रदान नहीं हुआ था, और न

Digitally signed by SUNEETA SHARMA
Date: 2026.07.30 17:02:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अपीलार्थी ने व उसके माता पिता ने किसी प्रकार का दान दहेज की मांग की थी। विपक्षी नं०–02 के माता पिता की इतनी हैसियत नहीं है कि वह 17–18 लाख रूपये की शादी कर सकते थे। 10–12 हजार रूपये का सामान उपहार स्वरूप अपनी पुत्री विपक्षी नं0–2 को भेंट किया था। अपीलार्थी एवं विपक्षी नं0–02 से एक पुत्र इटावा प्राइवेट अस्पताल में पैदा हुआ जिसका समस्त खर्चा और दबाई आदि का खर्चा अपीलार्थी ने उठाया तथा खाने पीने के लिए विपक्षी नं0–02 को 20,000/– रूपये देकर गया था। अपीलार्थी सन 2017 में अपने माता पिता से विपक्षी नं0–02 को लेकर माता–पिता से बहुत दूर कमरा लेकर रहने लगा तथा भेंट स्परूप जो सामान पुष्पा को मिला था वह भी साथ लेकर गये तथा माता पिता से वटवारे में जो जेवर मिला वह भी लेकर गयी। दिनांक–30.09.2021 को जब अपीलार्थी नौकरी पर गया हुआ था तो विपक्षी नं0–02 अपने पिता, जीजा के साथ अपीलार्थी को वटवारे में मिले आठ तोला सोने के जेवर व 250 ग्राम चाँदी की करधनी व 2 लाख रूपये लेकर चली गयी तथा अपीलार्थीगण दहेज एक्ट आदि का झूठा मुकदमा कायम करवाने की प्रक्रिया चालू कर दी। विपक्षी नं0–02 के पिता रेलवे में गैंगमेन थे तथा उन्होंने घरेलू हिंसा में कहा है कि हमको 6000/– रूपये मिलते थे, 125 के वाद में कहा है कि हमें 500/– रूपये मिलते थे तथा रिटायरमेन्ट में चार पाँच लाख रूपये मिले थे। विपक्षी नं0–02 ने पुष्पा ने घरेलू हिंसा के मुकद्मा में कहा है कि मेरे पिता 2019 में रिटायर हुए थे। अपीलार्थी के पिता ने सी०आर०पी०सी० 125 में अपने ब्यानों में कहा है कि मेरा गाँव में झोपड़ीनुमा मकान है तथा घरेलू हिंसा के वाद जिरह में कहा कि मेरा एक बीघा में मकान बना है। दिनांक–30.09.2021 तक विपक्षी नं0–02 को दहेज की मांग को लेकर मारा पीट की जाती रही परन्तु कभी भी पुलिस को शिकायती आवेदन पत्र दिया न कभी डाक्टरी मुआयना कराया गया और न कोई कार्यवाही की। वाद पत्र में विपक्षी नं0–02 ने दिनांक 26.10.2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा को मुकदमा कायमी के लिए आवेदन पत्र दिया। विपक्षी नं0–02 ने दूसरी तरफ दिनांक 30.10.2021 को थाना हर्षविहार में एक आवेदन पत्र दिया जिसमें विपक्षी नं0–02 ने लिखा है कि मैं आज दिनांक–30.10.2021 को अपनी मर्जी से अपने पिता भाई के साथ मायके जा रही हूँ मेरे शरीर पर मारपीट की कोई चोट नही है और मैं अपना डाक्टरी मुआयना नहीं कराना चाहती हूँ। विपक्षी नं0–02 द्वारा वाद पत्र में लिखा गया है मेरे पति, सास–ससुर नित्यदिन मारपीट करते थे परन्तु शरीर पर कोई चोट नहीं है। विपक्षी नं0–02 के पति, सास–ससुर, ननद, देवर नित्य दिन मारपीट करते थे तो शरीर के किसी भी अमुक भाग पर चोट नहीं आयी इससे यह भी स्पष्ट होता है कि ससुरालीजनों द्वारा कोई मारपीट नहीं की गयी है और न ही कोई दहेज की मांग की गयी है। अपीलार्थी राहुल बेरोजगार है और वो कही भी बस में कन्डेक्टर नहीं है और न ही अपीलार्थी या उसके माता पिता का दो मंजिला मकान कहीं नहीं बना है और न ही किराये पर उठा है। विपक्षी नं0–02 के वकील साहब ने राहुल एवं उनके माता पिता की आमदनी बढ़ा चढ़ाकर गलत लिखी है जिसके सम्बन्ध में किसी प्रकार का साक्ष्य विपक्षी नं०–02 द्वारा पत्रावली में दाखिल नहीं किया गया है। अपीलार्थी राहुल आज भी विपक्षी सं० 2 ससम्मान रखने को तैयार है। विपक्षी नं0–02 ने कई व्यवसायिक कोर्स किये हैं (Certificate of Training Accomplishment) एक पंजाबी परीक्षा 2000, Certificate of Honour (Herbal) इसलिए विपक्षी नं0–02 वित्तीय अनुतोष पाने के अधिकारिणी नहीं है। विपक्षी नं0–02 अपनी मर्जी से मायके रह रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश में कहा गया है कि अपीलार्थी राहुल ने अपने व्यानों में कहा है कि उसके दो मकान है 14 दुकानें है तथा काफी रूपया आता है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने मन से लिखा गया है राहुल के व्यानों का कोई साक्ष्य नही है विपक्षी नं0–02 द्वारा अपीलार्थीगण की आमदनी व मकान दुकानों के बारे में कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया है। उपरोक्त आधारों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2025 को निरस्त करते हुए अपील स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

3– विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत अपील के विरूद्ध कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है।

4– परिवाद कथानक इस प्रकार है कि–वादिनी/पीड़िता पुष्पा देवी की शादी आज से करीब 13 वर्ष पूर्व दिनांक 28.02.2008 को राहुल पुत्र विद्याराम के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। वादिनी/पीड़िता के पिता ने अपने सामार्थ्य के अनुसार दान व समान दिया था, वादिनी पीड़िता के पिता ने शादी में लगभग 17–18 लाख रुपये खर्च किया था। जिसमें घर गृहस्थी का सारा सामान जेबर कपड़ा आदि दिया था एवं एक मोटरसाइकिल व नकद रुपया दिया था, परंतु विपक्षीगण दिये गये दान व सामान से संतुष्ट नहीं थे। वो अतिरिक्त दहेज के तौर पर 5 लाख रुपये नकद व एक चार पहिया की गाड़ी की मांग वादिनी व उसके मायके वालों से बराबर करते चले आ रहे हैं। विपक्षीगण अतिरिक दहेज को लेकर वादिनी के क्रूरता का व्यवहार शारीरिक व मानसिक उत्पीडन के जरिये किया। वादिनी के जब पुत्री पैदा हुई तो उन लोगों ने वादिनी के साथ मारपीट की और कहा कि एक तो तेरे माँ बाप से दहेज कम दिया और तूने एक पुत्री को पैदा किया अब हम लोग तुझे अपने घर में नहीं रखेंगे। वादिनी के पिता पक्षा का सामान लेकर आये तो उन्हें सारी बात बतायी, जिस पर वादिनी के पिता ने उन्हें समझाया, परंतु वो लोग नहीं माने और पिता के सामने ही वादिनी की मारपीट कर दी। इसके पश्चात् ननद की शादी में भी वादिनी से अपने मायके से रुपये व गाड़ी लाने के बावत कहा गया। वादिनी के असमर्थता जताने पर पुनः मारपीट व गाली गलौज की गयी। दिनांक 16.06.2021 को हर्षविहार पुलिस थाना द्वारा राहुल को किसी लड़की के चक्कर में पकड़ा गया जिस पर आइन्दा गलती न करने का लिखित देने पर छोड़ा गया और अपनी पत्नी से मारपीट न करने का आश्वासन लिया गया था। दिनांक 30.09.2021 को समय करीब 5.00 बजे शाम वादिनी को मारपीट कर अतिरिक्त दहेज में पाँच लाख रुपये व एक चार पहिया की गाड़ी की मांग को लेकर घर से निकाल दिया और घर में नहीं घुसने दिया गया तो वादिनी को उसके पिता दिल्लीराम पुलिस की सहायता से अपने साथ इटावा ले आये। वादिनी का समस्त स्त्रीधन व अन्य सामान ससुरालीजनों द्वारा छीनकर अपने पास रख लिया गया। वादिनी के साथ एक दो वर्षीय बालक अंश भी है। वादिनी के साथ वादिनी के ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर किसी भी समय कोई भी अप्रिय घटना घटित कर सकते हैं, उक्त विषयक प्रार्थनापत्र वादिनी ने दिनांक 04.10.2021 को थाना बढ़पुरा में प्रस्तुत किया, किन्तु यहाँ पुलिस द्वारा दिल्ली का मामला कहकर वादिनी को टरका दिया। एक प्रार्थनापत्र श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा को हाथों हाथ दिया था जिसे महिला थाने लिए रेफर कर दिया था, परंतु यहाँ पर विपक्षीगण के विरुद्ध आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। विपक्षीगण वहाँ आकर वादिनी व उसके मायके वालों के प्रति अभद्रता एवं गाली–गलौज भी कर गये हैं। तदोपरान्त एक अन्य प्रार्थनापत्र पुनः दिनांक 27.10.2021 को बजरिये पंजीकृत डाक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा को प्रेषित किया। वादिनी बेहद कम पढ़ी लिखी महिला है, केवल हस्ताक्षर बनाना जानती है। विपक्षी के लगातार उत्पीड़न से वादिनी मानसिक व शारीरिक रूप से अत्यन्त ही व्यथित एवं कुपोषित हो चुकी है एवं किसी प्रकार का आजीविका कमाने में असमर्थ है। वादिनी उसके पुत्र अंश की हालत भूखो मरने की है और अपने मायकेवालों के रहमो करम पर जीवन यापन कर रही है। वादिनी का पति राहुल गाजियाबाद डिपो में कन्डक्टर के पद पर सेवारत है, जिससे उसको प्रतिमाह 40,000/– रुपये वेतन मिलता है तथा उसके पास दिल्ली शहर में दो पक्के तीन मंजिला मकान है, जिसको वह किराये पर उठा रखा है तथा दोनों मकानों से उसे लगभग 70,000/– रुपये प्रतिमाह मिलता है तथा सबोली विस्तार वाले घर में किराने की दुकान भी है, जिसे उसको प्रतिमाह 50,000/– रुपये की आमदनी होती है तथा कई प्लाट भी विपक्षी के नाम है जिसकी साल में खरीद फरोख्त करके सालाना पांच लाख रुपये कमा लेता है। विपक्षी की पैत्रिक निवास स्थान ग्राम मंशापुर जिला इटावा में कई बीघा कृषि भूमि है, जिनसे तीन फसली कृषि

कार्य करके लगभग 3 लाख रुपये सालाना आमदनी भी होती है। प्रार्थनी के हालात व वाक्यात को देखते हुए विपक्षी से मुझ प्रार्थिनी के भरण–पोषण हेतु 50,000/– रुपये प्रतिमाह व पुत्र अंश के भरण पोषण के लिए 20,000/–रुपये दिलाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थना की गयी है कि उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मानसिक व शारीरिक कष्ट व उत्पीड़न आदि के लिए विपक्षीगणों से हर्जा व खर्चा एवं रिहाईश तथा रिहाईश में व अन्य जगह पीडिता के प्रति दखलन्दाजी से रोका जावे एवं रिहाईश का किराया विपक्षीगण से दिलाये जाने का आदेश देने की कृपा करें।

5– विचारण न्यायालय में विपक्षीगण द्वारा उत्तरपत्र कागज सं० 12क/1 ता 12क/3 प्रस्तुत कर कथन किया कि– राहुल की शादी पुष्पा के साथ दिनांक 28.02.2008 को बिना किसी दान दहेज सम्पन्न हुई थी। पुष्पा के पिता दिल्लीराम की कतई इतनी हैसियत नहीं है कि यह शादी में 17–18 लाख रुपया खर्च कर सकें। पुष्पा के पिता व रिश्तेदारों ने लगभग 12 हजार रुपया का गृहस्थी का सामान भेंट स्वरूप पुष्पा को दिया था। प्रार्थी व उसके माता–पिता या बहिन रीना या भाई ने कभी भी एक रुपये की भी मांग नहीं की है और न कभी चार पहिया गाडी की मांग की। राहुल या उसके माता–पिता, भाई–बहिन ने कभी भी पुष्पा की मारपीट नहीं की और न ही कभी क्रूरता का किसी ने भी व्यवहार किया। पुष्पा ने एक पुत्री खुशी को जन्म दिया जो लगभग 09 वर्ष की है। खुशी की परवरिश जन्म से ही राहुल के माता–पिता कर रहे हैं। राहुल की पुत्री खुशी के जन्म के समय पुष्पा का पिता किसी प्रकार का कोई सामान लेकर नहीं आया और न ही पुष्पा की मारपीट की। राहुल की बहिन रीना की शादी में न तो रुपया की माँग की और न ही गाड़ी की माँग की गयी। पुष्पा का पुत्र इटावा में पैदा हुआ था जिसमें राहुल ने स्वयं इटावा आकर चिकित्सा आदि में साठ हजार रुपया खर्च किया था तथा खाने आदि के लिए बीस हजार रुपया अलग से पुष्पा को दिये थे। राहुल के पास दवा के कुछ बिल हैं। शादी के लगभग पाँच–छः माह बाद ही पुष्पा ने राहुल व उसके माता–पिता, भाई–बहिन से लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया तथा राहुल को धमकी देने लगी कि तुझसे पैदा बच्चे को जन्म नहीं दूंगी और न तेरे साथ रहूंगी। इस कारण पुष्पा बचा पैदा न हो दवा खाती रही। पुष्पा के माता–पिता, भाई, जीजा व साली राहुल पर बराबर दबाव डालते थे कि अपने माता–पिता से अलग हो जाओ। पुष्पा व उसके माता–पिता व भाई जीजा साली की बात न मानने पर मुझसे लड़ाई झगड़ा करने लगी। पुष्पा के माता–पिता, भाई व जीजा ने राहुल को परिवार से अलग करा दिया। पुष्पा के पिता ने राहुल से कहा कि अपने बाप से अपना हिस्सा लो। राहुल ने पिता से हिस्से में आठ तोला सोने के जेवर व 250 ग्राम चांदी की करधनी ली। राहुल, पुष्पा को शादी में उपहार में मिला गृहस्थी का सामान लेकर किराये पर माता–पिता से बहुत दूर पुष्पा के साथ रहने लगा। इसके बाद भी पुष्पा लड़ाई झगड़ा करती रही। पुष्पा व पिता दिल्लीराम अज्ञात व्यक्ति से फोन से धमकी दिलवा रहे हैं कि तुझे चैन से नहीं रहने देंगे। तुझे, जान से मरवा देंगे। पुष्पा तेरे साथ कभी नहीं रहेगी, उससे तलाक दिलाऊँगा। पुष्पा, राहुल के माता–पिता के घर मंशारामपुरा रहने के लिए कभी नहीं आयी और न ही किसी ने धमकी दी। सारी बातें मनगढन्त हैं। असल वाक्या यह है कि वह राहुल के साथ रहना ही नहीं चाहती है और वह किसी अन्य के साथ रहना चाहती है। पुष्पा झगड़ालू किस्म की गहिला है। प्रार्थी अपनी पत्नी पुष्पा को साथ रखना चाहता है और अपने बच्चों को रखना चाहता है, परन्तु पुष्पा के पिता व जीजा राहुल से पुष्पा को बहका रहे हैं। इसीलिए पुष्पा ने सुलह केन्द्र पर राहुल के साथ जाने का मना कर दिया। उपरोक्त आधारों पर दावा खारिज किये जाने की याचना की गयी है।

6– विचारण न्यायालय में वादिनी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी०डब्लू०–1 के स्वयं को, पी०डब्लू० 2 के रूप में अपने पिता दिल्लीराम को परीक्षित कराया गया है। विपक्षीगण द्वारा अपने कथनों के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में डी०डब्लू० 1 के रूप में स्वयं,

डी०डब्लू० 2 के रूप में अपने पिता विद्याराम को परीक्षित कराया है तथा अभिलेखीय साक्ष्य में सूची 26 क से कतिपय चिकित्सीय बिलों की छायाप्रति, साक्षी पी०डब्लू० 1 वादिनी व पी०डब्लू० 2 दिल्लीराम के बयान वाद अंतर्गत धारा 125 दं०प्र०सं० की छायाप्रति तथा थाना हर्षविहार में दिनांक 30.10.2021 को हुए समझौते की छायाप्रति व वादिनी के पक्ष में कतिपय प्रमाणपत्रों की छायाप्रति दाखिल की गयी है।

7– विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्षों को सुनकर प्रश्नगत परिवाद में आलोच्य निर्णय दिनांकित 06.12.2025 पारित करते हुए आदेश पारित किया गया कि– अपीलार्थीगण/विपक्षीगण को निर्णय परिवादिनी के विरूद्ध घरेलू हिंसा कारित न किये जाने से विरत रहने, उसे वह रहने के लिए वह कमरा प्रदान करने जिसमें वह अपलीर्थी के यहां रहती थी, परिवादिनी का परिवादपत्र में उल्लिखित स्त्रीधन वापस लौटाये जाने तथा विपक्षी सं० राहुल को यह भी आदेशित किया गया कि वह परिवादिनी पुष्पा को भरण पोषण हेतु 4 हजार रूपये प्रतिमाह प्रत्येक अंग्रजी माह की 10 तारीख तक अदा करने करने तथा परिवाद दयायर करने के तिथि से निर्णय की तिथि तक मु० 01 हजार रूपये प्रतिमाह के दर से भरण पोषण एवं चिकित्सीय धनाराशि परिवादिनी को 12 बराबर किस्तों में अदा करने आदेशित किया गया है तथा यह भी आदेश पारित किया गया हे कि विपक्षी सं० 1 परिवादिनी को मानसिक संताप एवं भावनात्मक कष्ट की क्षतिपूर्ति हेु मु० 50 हजार रूपये एकमुश्त अदा करने हेतु निर्देशित किया गया है।

8– उपरोक्त आलोच्य आदेश दिनाँकित–06.12.2025 के विरूद्ध अपीलार्थीगण/ विपक्षी द्वारा प्रश्नगत अपील प्रस्तुत की गयी, जो सत्र न्यायाधीश इटावा के आदेश दिनांकित 13.01.2026 द्वारा सुनवाई हेतु अंगीकृत की गयी, तदोपरांत अपील पत्रावली स्थानांतरित होकर निस्तारण हेतु इस न्यायालय को 09.02.2026 को प्राप्त हुई। न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

9– अपीलार्थीगण द्वारा अपील के समर्थन में आलोच्य आदेश दिनाँकित–06.12.2025 की सत्यप्रतिलिपि व आधार कार्डस् आदि प्रस्तुत किया है।

10– अपीलार्थीगण तथा विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

निष्कर्ष

11– अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस यह तर्क दिया गया है कि–विचारण न्यायालय द्वारा वादिनी के तथा उसके पिता के बयानों में आये विरोधाभासों पर ध्यान नहीं दिया गया है। वादिनी के ससुरालीजनों द्वारा मारपीट किया जाना कहा है परंतु इस संबंध में कोई भी चिकित्सीय प्रपत्र/मेडीकल दाखिल नहीं किया है। विपक्षी स्वयं अपीलार्थी के साथ नहीं चाहती है। अपीलार्थीगण द्वारा कभी भी विपक्षी सं० 2 को घरेलू हिंसा कारित नहीं की गयी है।

12– विपक्षी सं० की ओर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दण्ड द्वारा दौरान बहस तर्क दिया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश विधि सम्मत है, पुष्ट किये जाने योग्य है। विपक्षी सं० 2 की से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि परिवादिनी/विपक्षी सं० 2 को विवाह के पश्चात से दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित किया जाता रहा दिनांक 30.09.2021 को उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया तब से वह अपने मायके में बोझ बनकर रह रही है। अपीलार्थी सं० 1 द्वारा उसे आज तक कोई भी भरण पोषण की धनराशि नही दी गयी है। अपीलार्थी सं० 1 का अन्य स्त्रयों के साथ अवैध संबंध हैं तथा बस कंडक्टर के पद पर कार्यरत होकर अच्छा वेतन कमा रहा है।

13– उभय पक्षो की ओर से प्रस्तुत तर्कों के आलोक में यह विचारणीय प्रश्न यह है कि–

क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांकित 06.12.2025 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य साक्ष्य व विधिक प्रक्रियाओं व सिद्धांत के अनुकूल है अथवा नही ?

14– प्रस्तुत अपील की पत्रावली तथा संबंधित परिवाद की पत्रावली पर उपलब्ध उभय पक्षों के अभिकथनों तथा साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में विपक्षी संख्या–2/ परिवादिनी द्वारा अपीलार्थीगण/विपक्षीगण के विरूद्ध वाद अंतर्गत धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि० 2005 के अधीन प्रस्तुत कर अपीलार्थीगण/विपक्षीगण द्वारा घरेलू हिंसा कारित किये जाने के आधार पर भरण पोषण, सम्यक निवास की व्यवस्था, प्रतिकर, आर्थिक अनुतोष आदि के लिए अपीलार्थीगण/विपक्षीगण के विरूद्ध योजित किया गया, जिसपर विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए उभय पक्षों का साक्ष्य लेने के उपरांत सुनकर गुण दोष के आधार पर प्रश्नगत आदेश पारित करते हुए निम्न अवधार्य बिंदु विरचित किये गयेः–

1. क्या परिवादिनी पीडित व्यक्ति है?
2. क्या विपक्षीगण द्वारा परिवादिनी के साथ घरेलू हिंसा कारित की गयी है?
3. क्या परिवादिनी घरेलू हिंसा के अधीन किसी अनुतोष को प्राप्त करने की अधिकारिणी है?

15– उपरोक्त् अवधार्य बिंदुओं पर गुण दोष के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा यह निष्कर्षित किया गया कि परिवादिनी पीडित व्यक्ति है तथा विपक्षीगण परिवादिनी क साथ घरेलू हिसा कारित किया जाना साबित है। इसी आधार पर परिवादिनी के परिवाद स्वीकृत करते हुए अंतर्गत धारा 18, 19, 19(8), 20, 22 घरेलू हिंसा अधि० के अधीन परिवादिनी को अनुतोष प्रदान किया गया है।

16– अपीलार्थीगण की ओर से दिये गये तर्क तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह निष्कर्षित किया जाना है कि क्या विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है अथवा नहीं?

17– प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों के मध्य यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलार्थी सं० 1 का विवाह विपक्षी संख्या 2 पुष्पा के साथ दिनांक 28.02.2008 हिंदू रीति रिवाज से हुआ। उभय पक्षों के वैवाहित गठबंधन से एक पुत्र व पुत्री का जन्म हुआ। बडी पुत्री खुशी अपीलार्थी सं० 1 के संरक्षण में है जबकि छोटा पुत्र विपक्षी सं० 2 के साथ मायके में रह रहा है। अपीलार्थी संख्या 2 व 3 विपक्षी सं० 2 के सास व ससुर हैं तथा अपीलार्थी सं० 4 विपक्षी सं० 2 का देवर है। इस प्रकार उभय पक्षों के मध्य घरेलू संबंध साबित हैं।

18– परिवाद के अनुसार परिवादिनी विवाह दिनांक 28.02.2008 के पश्चात विदा होकर अपने ससुराल के घर में रही तथा दिनांक 30.09.2021 को उसे विपक्षीगण ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। परिवादिनी के ससुर विपक्षी संख्या 2 ने भी डी०डब्लू० 2 के रूप में अपनी जिरह में कथन किया है कि–"पुष्पा मेरे साथ 2017 तक रही। 2017 तक मेरे सबोली विस्तार वाले मकान पर रही।" इस प्रकार स्पष्ट है कि परिवादिनी विपक्षीगण के साथ घरेलू संबंधों में एक साथ एक छत के नीचे निवासरत रही है।

19– अतः अब यहां यह देखा जाना है कि परिवाद कथानक के अनुसार परिवादिनी के साथ विपक्षीगण द्वारा घरेलू हिंसा कारित की गयी या नहीं तथा वह घरेलू हिंसा अधि० 2005 के प्रावधानों के अधीन पीडित व्यक्ति की श्रेणी में आती है अथवा नहीं?

20– इस संबंध में यदि परिवाद का अवलोकन किया जाए तो परिवादिनी द्वारा अपने परिवाद में विपक्षीगण द्वारा घरेलू हिंसा पारित किया जाना इस आधार पर कहा गया है कि विपक्षीगण दहेज में 5 लाख रूपये व चार पहिया गाडी की मांग करते थे। मांग पूरी न होने के कारण परिवादिनी को मारते पीटते थे, गाली गलौज करते थे। दिनांक 30.09.2021 को प्रार्थिनी के पति व अन्य विपक्षीगण ने वादिनी मारपीट कर स्त्रीधन छीनकर घर से निकाल दिया तब परिवादिनी के पिता

पुलिस की सहायता से परिवादिनी को अपने साथ इटावा ले आये। साथ यह भी कथन किया गया है कि विपक्षी सं० 1 राहुल अन्य लडकियों के साथ रहता है। विपक्षी सं० 1 ने आज तक भरण पोषण की कोई भी धनराशि अदा नहीं की है।

21– इस संबंध में यदि परिवादिनी की बयानों अवलोकन किया जाए तो अपने साक्ष्य शपथपत्र में परिवादिनी ने अपने परिवाद के तथ्यों को दोहराया है तथा अपनी जिरह में निम्न कथन किये हैः–"मैंने कोई झूठी शिकायत राहुल के खिलाफ थाने में नहीं की, मेरे साथ 15 साल तक मारपीट होती रही, कोई रिपोर्ट व डाक्टरी मुआयना नहीं कराया था। ... ...महिला थाने राहुल न आये मेरे ससुर आये थे। राहुल लडकियों के साथ रहकर आया था। इसलिए सुलह समझौता केंद्र में मैंने साथ जाने से मना कर दिया था। मैं अभी भी राहुल के साथ जाना चाहती हूं पर राहुल लडकी के साथ रहता है, इसलिए नहीं जा रही हूं।... ... ...राहुल मेरे घर पर अकेले आये थे, शराब पीकर आये थे।"

22– पी०डब्लू० 2 परिवादिनी के पिता ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में परिवाद के कथानक को दोहराया है तथा अपनी जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है कि–"मैंने पुलिस थाने में राहुल के खिलाफ शिकायती प्रार्थनापत्र दिया था, लेकिन सन, वर्ष याद नहीं है।मैंने डाक्टरी मुआयना नहीं कराया। राहुल व उसके पिता ने मुझे व मेरी बेटी को धमकाया तथा मारापीटी थाने में की।... ... ...मेरी पुत्री से मारपीट कर रहे हैं, पांच लाख रूपये मांग रहे हैं, इसलिए मेरी पुत्री नहीं जा रही है।"

23– अपीलार्थीगण की ओर से दौरान बहस मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि–परिवादिनी ने अपने बयानों में कथन किया है कि उसके साथ मारपीट की जाती थी, परंतु उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसने अपनी चोटों का कभी भी मेडीकल नहीं कराया है, इस आधार पर परिवादिनी अपने उपरोक्त कथनों को साबित करने में असफल रही है कि अपीलार्थीगण द्वारा उसके साथ मारपीट की गयी हो। उपरोक्त तर्क के संबंध में न्यायालय का यह मत है कि सामान्य रूप से भारतीय परिवेश में कोई भी विवाहित महिला अपने परिवार तथा वैवाहिक संबंधों को बचाये रखना चाहती है। जिसके चलते वह सामान्य रूप से ससुरालीजनों द्वारा किये गये क्रूरतापूर्ण व्यवहार को भी अपनी सहनशक्ति की सीमा तक बर्दाश्त करने का प्रयास करती है। इस संबंध में परिवादिनी का यह बयान महत्वपूर्ण है कि मेरे साथ 15 साल तक मारपीट होती रही और उसने कोई रिपोर्ट या डाक्टरी मुआयना नहीं कराया। सामान्य रूप से कोई भी महिला द्वारा ससुराल में उसके साथ होने वाले सभी झगडों या मारपीट को पुलिस के सामने ले जाने हेतु यथासंभव बचने का प्रयास करती है तथा कोशिश यही की जाती है परिवार के विवाद घर की चाहरदीवारी के भीतर ही रहे। ऐसी स्थिति में यदि कोई चोटें आदि भी आयी हों तो चोटों के इलाज हेतु अस्पताल जाकर मेडीकल रिपोर्ट बनवायी ही जाए यह आवश्यक नहीं है। तथा यह भी उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के वैवाहिक संबंध में होने वाली मारपीट आवश्यक नहीं कि मारपीट इस स्तर की हो कि उसके इलाज हेतु अस्पताल जाना ही पडे। परंतु परिवादिनी द्वारा कोई मेडीकल न कराया जाना यह साबित नहीं करता है कि उसके साथ मारपीट की ही न गयी हो। जबकि परिवादिनी व उसके साक्षी ने अपनी साक्ष्य में विपक्षीगण द्वारा मारपीट किये जाने के तथ्य को पुष्ट किया है।

24– विपक्षी ने स्वयं अपने कथनों के समर्थन में सूची 26 क से अभिलेख दाखिल करते हुए परिवादिनी व उसके मायके व ससुराल के परिजनों के समक्ष थाना हर्षविहार में लिखे गये समझौतेनामें की प्रति को दाखिल किया है, जिसमें परिवादिनी ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि–"मेरा पति, सास ससुर मुझे परेशान करने लगे थे। मुझसे दहेज की मांग भी करते थे। अब मेरापति राहुल मुझे छोडकर कहींचला गया है और सास ससुर घर में नहीं रहने देते हैं। मेरी लडकी मेरी सास रामकिशोरी व ससुर विद्याराम के पास है और लडका अंश मेरे साथ है। आज दिनांक 30.10.2021

को मैं अपने पिता दिल्लीराम व भाई विनोद कुमार के साथ अपने मायके अपनी मर्जी से जा रही हूं। मैंने अपने साथ घर का कोई सामान नहीं लिया है। मैं कार्यवाही इटावा यू०पी०से करना चाहती हूं। मुझे चोट नहीं है, मैं अपना मेडीकल नहीं कराना चाहती।" यद्यपि उपरोक्त अभिलेख छायाप्रति है, परंतु उपरोक्त अभिलेख स्वयं अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त बयान पर अपीलार्थीगण विश्वास करते हैं। दौरान बहस अपीलार्थीगण की ओर से उपरोक्त प्रपत्रों पर बल देते हुए कहा गया है कि उसने स्वयं ही कहा है कि वह कोई मेडीकल नहीं कराना चाहती है, जिससे स्पष्ट है कि उसके साथ कोई मारपीट नहीं हुई, परंतु इस न्यायालय के मत में यदि उपरोक्त बयानों पर गौर किया जाए तो अपने बयानों में परिवादिनी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसके पति, सास, ससुर दहेज की मांग को लेकर परेशान करते हैं तथा उसका पति उसे छोडकर कहीं चला गया है और सास ससुरघर में उसे रहने नहीं दे रहे हैं तथा इटावा यू०पी० जाकर कार्यवाही करना चाहती है। ऐसी परिस्थिति में जब महिला अपनी ससुराल के घर में हुए व्यवहार से तंग आकर अपने मायके जाकर सुरक्षित रहकर कार्यवाही करना चाहती है,तो उसके द्वारा मेडीकल न कराया जाना मात्र यह इंगित करता है कि वह तत्समय कोई कार्यवाही न कर भविष्य में सुरक्षित रहकर विपक्षीगण के विरूद्ध कार्यवाही करना चाहती थी, इसलिए उसके द्वारा मेडीकल नहीं कराया गया। यहां यह महत्वपूर्ण है कि पी०डब्लू० 2 ने जिरह में कहा है कि–"फिर कहा कि 30.09.2021 को पुष्पा के द्वारा मुझे थाने में पुलिस के जरिए बंद करवा दिया। मुझे 3 दिन थाने में बंद रहना पडा, मुझे दुकान से पकडकर ले गये थे। उस दिन 30.09.2021 को पुष्पा ने पुलिस को फोन किया था। फिर कहा दिल्लीराम ने पुलिस को फोन किया था। पुलिस एक बजे दिन में आयी थी। क्योंकि पुष्पा के साथ झगडे की बात को लेकर पुलिस आयी थी। " उपरोक्त् बयानों के आधार पर यह स्पष्ट है कि परिवादिनी द्वारा अंतिम विकल्प के तौर पर पुलिस को भी सूचना दी गयी। अतः अपीलार्थीगण के इस तर्क पर कोई बल नहीं है।

25– उल्लेखनीय है कि डी०डब्लू० 2 ने अपनी जिरह में कथन किया है कि–"जब राहुल को पुलिस ने अन्य वाहरी लडकियों से पकडा था तब मैंने उसका कोई बचाव नहीं किया था, लेकिन इटावा में पुष्पा व राहुल के मध्य जितने मुकदमें चले सभी में पुष्पा के विरूद्ध गवाही दी। मेंने पुत्र को काफी समझा था वह ऐसे दुष्चारित्रियिक कार्य न किया करे और सही से रहे। दिल्लीराम ने भी इस बावत समझाया था।" उपरोक्त कथनों से परिवादिनी के इन अभिकथनों को बल मिलता है कि विपक्षी सं० 1 विवाहिता होते हुए अन्य लडकियों से अवैध संबंध होंने में लिप्त रहा है।

26– यह भी उल्लेखनीय है परिवादिनी ने अपने परिवाद में यह भी कथन किया है कि विपक्षीगण द्वारा घर से निकाले जाने के पश्चात आज तक उसके पति विपक्षी संख्या 1 ने परिवादिनी व उसके पुत्र के लिए कोई भी भरण पोषण की धनराशि नही दी है, जिसके कारण वह मानसिक व शारीरिक कुपोषण की स्थिति में है। इस संबंध में यदि परिवादिनी के पति विपक्षी संख्या 1 की डी०डब्लू० के रूप में जिरह का अवलोकन किया जाए तो इस साक्षीने कथन किया है कि–" मैंने जब से अपनी पत्नी से अलग हुआ, अपनी पत्नी को तब से कोई भरण पोषण व अन्य सुविधा नहीं दिया है। मैंने मेंटीनेंस का मुकदमा लडा था। जिसके फैसले पर मेरे दस्तखत हैं। उक्त फैसले में निर्धारित रकम का भी आज तक मैंने कोई भुगतान नहीं किया है।... ... ... मैंने अपने पुत्र अंश के लिए भी आज तक कुछ नहीं किया है।" डी०डब्लू० 2 परिवादिनी के ससुर ने अपनी जिरह में इस संबंध में कथन किया है कि–" मैंने व राहुल ने कोई मेंटीनेंस पुष्पा व उसके पुत्र को तब से नहीं दिया जब से दिल्ली में थाने के जरिए घर आयी है। इटावा न्यायालय से 7 हजार रूपये प्रतिमाह मेंटीनेंस बनने के बावजूद एक पैसा मैंने नहीं दिया है। मुझे नहीं मालूम कि राहुल ने मेंटीनेंस का पैसा दिया या नहीं।"

27– इस प्रकार विपक्षीगण के बयानों सेयह स्पष्ट है कि परिवादिनी को जब से विपक्षीगण

ने घर से निकाला उसके पश्चात से कोई भी आर्थिक सहायता परिवादिनी को भरण पोषण हेतु या अन्य प्रकार से नहीं दी गयी है। यहां तक कि न्यायालय के आदेश के बावजूद भी विपक्षी सं० 1 ने कोई भी भरण पोषण की धनराशि परिवादिनी को अदा नहीं की है। जबकि विपक्षी सं० 1 परिवादिनी का पति तथा वह इस हेतु पूर्ण रूप से दायित्वाधीन है।

28– न्यायालय के मत में विपक्षीगण की ओर से यह तर्क कि पुत्र के जन्म के समय इलाज का खर्च परिवादिनी के पति ने वहन किया था तर्कहीन हो जाता है, क्योंकि इस संबंध में प्रस्तुत मेडीकल बिलों की छायाप्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त बिलों का नगद भुगतान अपीलार्थी सं० 1 द्वारा ही किया गया हो तथा विपक्षी सं० 1 के बयानों से स्वतः स्पष्ट है कि वह कभी भी पीडिता को आर्थिक सहायता देने हेतु इच्छुक नहीं रहा है।

29– अपीलार्थीगण की ओर से दौरान बहस डी०डब्लू० 1 परिवादिनी के पिता के प्रस्तुत प्रकरण में हुई जिरह तथा धारा 125 दं०प्र०सं० में हुए बयानों में साक्षी की आय को लेकर विरोधाभास को इंगित कर परिवादिनी से दहेज की मांग किये जाने के तथ्य को नकारा है। उपरोक्त् के संबंध में न्यायालय का मत है कि प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया जाना है कि परिवादिनी के पिता की आर्थिक स्थिति क्या है तथा धारा 125 दं०प्र०सं० में अंतर्गत कथित बयानों की सत्यप्रतिलिपि भी प्रस्तुत नहीं की गयी है।

30– दौरान बहस अपीलार्थीगण की ओर से तर्क दिया गया कि विपक्षी सं० 1 की आय का कोई साधन नहीं है। इस संबंध में अपीलार्थी सं० 1 के पिता ने डी०डब्लू० 2 के रूप में अपनी जिरह में कथन किया है कि–"मैंने शादी के समय अपने बेटे के बारे में पुष्पा के घरवालों को बताया था कि वह प्राईवेट नौकरी हैवेल्स कंपनी में काम करता है। तत्पश्चात राहुल दिल्ली में प्राईवेट पीली बसों कंडक्टर का कार्य करता है साथ कैटरर कांट्रेक्टर के अंदर काम करता है।" स्वयं अपीलार्थी सं० 1 ने डी०डब्लू० 1 के रूप में अपनी जिरह में कथन किया है कि–"दिल्ली में जिस मकान में रहते हैं, उसमें नीचे दुकान किया है एवं उसमें दूसरी दुकान खाली है, अन्य दो मंजिल पर माता पिता व अन्य लोग रहते हैं।" जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी नियमित रूप से कहीं न कहीं कार्य करता रहा है तथा यह कथन विश्वास योग्य नहीं है कि उसकी आय का कोई साधन नहीं है।

31– धारा 3 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में घरेलू हिंसा को परिभाषित करते हुए प्रावधानित किया गया है कि–(क)व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य सुरक्षा, जीवन, अंग अथवा भलाई के प्रति क्षति या उपहति, या खतरा, चाहे मानसिक अथवा शारीरिक कारित करना हो या ऐसा करना प्रयासित हो और जिसके अंतर्गत शारीरिक दुर्व्यवहार, लैंगिक दुर्व्यवहार, मौखिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार और आर्थिक दुर्व्यवहार आता है।

32– इसप्रकार उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि परिवादिनी के साथ विपक्षीगण द्वारा मारपीट कर शारीरिक रूप से क्रूरता कारित की गयी। अपीलार्थी सं० 1 जोकि परिवादिनी का पति है, वह विवाहित होते हुए भी अन्य स्त्रियों के साथ संबंधों में लिप्त होने का तक तथ्य परिवादिनी के साथ भावनात्मक दुर्व्यवहार किया जाना साबित करता है। साथ ही अपीलार्थीगण द्वारा परिवादिनी व उसके पुत्र को भरण पोषण हेतु कोई आर्थिक सहायता न दिया जाना भी परिवादिनी के साथ आर्थिक दुर्व्यवहार की श्रेणी में आता है।

33– अतः उपरोक्त समस्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय के मत में विपक्षीगण द्वारा पीडिता के साथ घरेलू हिंसा कारित किया जाना साबित है। परिवादिनी घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रावधानों के अधीन पीडित व्यक्ति के श्रेणी में आती है। इस न्यायालय के मत में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आक्षेपित आदेश पारित करने में कोई सारवान त्रुटि अथवा अनियमितता कारित नहीं की गयी है। तद्नुसार प्रश्नगत आक्षेपित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है एवं आक्षेपित आदेश दिनाँकित–06.12.2025 पुष्ट किये जाने योग्य है और

दण्ड अपील सं०–04/2026
राहुल आदि बनाम उ०प्र० राज्य
थाना–महिला थाना, इटावा।

दाण्डिक अपील निरस्त किये जाने योग्य है

आदेश

अपीलकर्तागण/प्रार्थीगण राहुल आदि की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक अपील सं.–04/2025 'राहुल आदि बनाम उ०प्र० राज्य आदि' निरस्त की जाती है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनाँकित–06.12.2025 पुष्ट किया जाता है।

इस निर्णय की प्रति के साथ अवर न्यायालय की मूल पत्रावली नियमानुसार वापस/प्रेषित की जावे। निगरानी पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनाँक–25.07.2026

(सुनीता शर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–07/
विशेष न्यायाधीश, (NDPS Act.)
J.O. Code: UP 1700

निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय हस्ताक्षरित, दिनाँकित करके सुनाया गया।

दिनाँक–25.07.2026

(सुनीता शर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–07/
विशेष न्यायाधीश, (NDPS Act.)
J.O. Code: UP 1700